

	(ट) यदि वह विकृत बुद्धि का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है; (ठ) जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा भ्रष्ट आचारण अपनाने अथवा चुनाव संबंधी अपराध करने के लिए, ऐसी अयोग्यता अवधि के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा तत्समय लागू चुनाव संबंधी किसी विधि के अन्तर्गत अयोग्य ठहराया गया हो अथवा; (ड) खण्ड (झ) के अधीन रहते हुए लोग सभा के चुनाव के प्रयोजन हेतु तत्समय लागू किसी विधि के द्वारा अथवा अन्तर्गत अयोग्य ठहराया गया हो;	
	57. धारा 4, धारा 7 या धारा 56 में संदर्भित किसी अयोग्य ठहराए गए व्यक्ति के संबंध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न है तो इसके निर्णय के लिए उपायुक्त को भेजा जाएगा । बशर्ते कि किसी प्रश्न पर निर्णय देने से पूर्ण उपायुक्त को चुनाव आयुक्त का राय लेना होगा और उसी के अनुसार कार्य करना होगा ।	अयोग्य ठहराने के बारे में उठे प्रश्न पर निर्णय
	58. (1) इस विनियम के अन्तर्गत पहली बार द्वीप परिषद का गठन करने अथवा द्वीप परिषद के कार्यकाल की समाप्ति अथवा इसके पुर्नगठन पर उपायुक्त, सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में द्वीप परिषद के सदस्यों में से वाइस चीफ कैप्टन की चुनाव के लिए एक बैठक आयोजित करने को कहेगा । (2) चुनाव, संबंधित सहायक आयुक्त की प्रत्यक्ष निगरानी में कराई जाएगी, जिसमें बैठक की अध्यक्षता चीफ कैप्टन करेंगे जिसे मत देने का अधिकार नहीं होगा (3) उस बैठक में वाइस चीफ कैप्टन के चुनाव के अलावा कोई अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी । (4) मतों की संख्या बराबर हो जाने के मामले में सहायक आयुक्त द्वारा जैसा वह उचित समझे लॉटरी के द्वारा चुनाव परिणाम का निर्णय लिया जाएगा ।	वाइस चीफ कैप्टन का चुनाव
	59. द्वीप परिषद की कार्यपालक शक्तियाँ, द्वीप परिषद पर इस विनियम के तहत लागू कर्त्तव्यों के निर्वहन का उत्तरदायित्व तथा द्वीप परिषद में संकल्प लाने का उत्तरदायित्व चीफ कैप्टन के पास निहित है ।	द्वीप परिषद की कार्यपालक शक्तियाँ
	60. (1) जब तक कि तत्समय लागू किसी विधि के अंतर्गत शीघ्र द्वीप परिषद का विघटन नहीं होता है, इसके प्रथम बैठक की तिथि से पाँच वर्ष तक के लिए कार्य करेगा और यह अवधि इससे अधिक नहीं होगी ।	द्वीप परिषद की अवधि